

मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल


भोपाल, दिनांक 08/10/2020

:: आदेश ::

क्रमांक आर/375/1887/2020/42-1: राज्य शासन एतद् द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एमबीए एवं एमसीए पाठ्यक्रम की ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग में भाग लेने वाले जिन विद्यार्थियों के स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो सके, उन सभी विद्यार्थियों के स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के पूर्व वर्षों के परीक्षा परिणामों के आधार पर प्रावधिक (Provisional) प्रवेश की कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त व्यवस्था केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये ही लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डॉ. एम.आर. धाकड़)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन


तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. क्रमांक आर/376/1887/2020/42-1/

भोपाल, दिनांक 08/10/2020

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, महात्मा गांधी ग्रामोदय, विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, छतरपुर, पण्डित एस.एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय, शहडोल एवं छिंदवाडा।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, श्यामला हिल्स, भोपाल।
5. स्टॉक फाईल।

ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग